बैंकों के पास मांग और मियादी जमाराशियां तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (नोटों और सिक्कों सहित) के साथ मिलकर मुद्रा पूर्ति (एम 3) का गठन करते हैं । पिछले तीन वर्षों में मुद्रा पूर्ति निम्नलिखित थी :—

(करोड़ रुपए)

| | |
|---|---|
| 1989–90 . . | 2,30,950 |
| 1990–91 . . | 2,65,828 |
| 1991–92 . . | 3,15,084 |

(ग) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष 1992–93 के दौरान मुद्रापूर्ति (एम 3) के विस्तार के लिए 10.4 प्रतिशत का संकेतात्मक लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रचालन में नोट और सिक्के एक संघटक हैं ।

(च) दिसम्बर, 1993 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 243 के अनुसार प्रचालन में नोटों और सिक्कों का वास्तविक मूल्य 25 दिसम्बर, 1992 को अनुमानतः 27,641 करोड़ रुपए है ।

**ऋण राशि को बट्टे-खाते में डालने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना**

876. **श्री राम जेठमलानी :**
**श्रीमती सुषमा स्वराज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि में निरंतर वृद्धि को देखते हुए ऋण-राशि को बट्टे खाते में डालने तथा साथ ही उसकी वसूली के संबंध में बैंकों द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने के लिए कुछ नए प्रभावी उपाय करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने तथा देनदारों/ऋणकर्ताओं से समझौते करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं । ये दिशानिर्देश उन मुद्दों की भी पहचान करते हैं, जिन पर अधिकारियों द्वारा किसी धनराशि को बट्टे खाते डालने से पूर्व विचार किया जाना अपेक्षित है । अन्य बातों के साथ ये दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि वह प्राधिकारी जिसने संदर्भाधीन अग्रिम की स्वीकृति दी थी, वही अधिकारी उसे बट्टे खाते न डाले । दिशानिर्देश में यह भी प्रावधान है कि बट्टे खाते डालने/समझौता करने का निर्णय लेने से पूर्व बकाया की वसूली के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जाने चाहिए । बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/हानियों का एक विवरण समय-समय पर निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित है ।

**पश्चिमी बंगाल द्वारा सहायता-राशि का दुरुपयोग**

877. **श्री राम जेटमलानी :**
**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दैनिक "टैलीग्राफ" में "सैन्ट्रल टीम टू प्रूव मिसयूज ऑफ फन्ड्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि के उचित उपयोग की जांच करने के लिए पश्चिमी बंगाल में एक दल भेजा था ;